भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 218*

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी गरीबों और शहरी श्रमिकों के लिए योजनाएं

***218. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:**

श्री इटेला राजेंदर:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी गरीबों और कमजोर समूहों की सहायता को प्राथमिकता दी है और शहरी श्रमिकों की आय में सुधार, उनकी स्थायी आजीविका और बेहतर जीवन स्तर के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए भी कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि संस्वीकृत/व्यय की गई तथा इसमें कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

''शहरी गरीबों और शहरी श्रमिकों के लिए योजनाएं'' विषय के संबंध में दिनांक 13.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न *218 (18 वां स्थान) के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जी हाँ। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 790 शहरों में सतत आधार पर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए 2014 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) को कार्यान्वित किया था। फरवरी 2016 में, इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) कर दिया गया और इसकी कवरेज संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित सभी वैधानिक शहरों तक बढ़ा दी गईं। इसका उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कौशल आधारित मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सुधार कर उनकी गरीबी और असुरक्षा को कम करना था। डीएवाई-एनयूएलएम को 30 सितंबर, 2024 तक कार्यान्वित किया गया था। डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 90 लाख महिलाओं सहित 1 करोड़ से अधिक शहरी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है। मिशन के तहत 39.39 लाख से अधिक आजीविकाएं सृजित की गई हैं। डीएवाई-एनयूएलएम के तहत शुरुआत से जारी की गई धनराशि अनुलग्नक-I में दर्शाई गई है।

जो पथ विक्रेता आमतौर पर कम पूंजी से काम करते हैं और जिन्हें अक्सर स्थानीय साहूकारों से ऊंची दरों पर उधार लेना पड़ता है, उनकी आजीविका पर कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप लगे लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बाद उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देने के उदेश्य मंत्रालय ने 01 जून, 2020 को पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना शुरू की।

*****

दिनांक 13 मार्च, 2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *218 (18वीं स्थिति) के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत शुरूआत से जारी की गई धनराशि

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई कुल राशि (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	432.96
2	अरुणाचल प्रदेश	38.13
3	असम	119.47
4	बिहार	162.61
5	छत्तीसगढ़	148.57
6	गोवा	18.48
7	गुजरात	309.51
8	हरियाणा	83.29
9	हिमाचल प्रदेश	56.06
10	जम्मू और कश्मीर	50.05
11	झारखंड	159.16
12	कर्नाटक	171.23
13	केरल	180.39
14	मध्य प्रदेश	425.98
15	महाराष्ट्र	441.48
16	मणिपुर	58.54
17	मेघालय	12.08
18	मिजोरम	110.28
19	नागालैंड	53.22
20	ओडिशा	127.41
21	पंजाब	114.09
22	राजस्थान	242.49
23	सिक्किम	11.31
24	तमिलनाडु	715.77
25	तेलंगाना	329.55
26	त्रिपुरा	73.11
27	उत्तर प्रदेश	481.24
28	उत्तराखंड	52.68

29	पश्चिम बंगाल	284.84
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.68
31	चंडीगढ़	20.91
32	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	0.17
33	दिल्ली	0.00
34	पुदुचेरी	20.01
35	लद्दाख	2.10
	कुल	**5508.87**